सीता vs रामानंद (2023/369)

24/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रति. सं. 6 व 10 उप०। प्रति. सं. 10 की ओर से श्री शिवचरण चौधरी एड० ने वकालतनामा पेश किया। बा. कि. हो। प्रति. 6 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं। प्रति. 6 की ओर आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से वकालतनामा व प्रति. 6 व 10 को जवाबदावा व शेष प्रतिवादीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक एडी तलबाना पेश करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते वकालतनामा, जवाबदावा व तामील हेतु दि0 30/5/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

30/5/24 पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उप० वादी की प्रार्थना पत्र वाद वापस लिये जाने का पेश किया वादी के ब्यान [illegible] अधिवक्ता/ दर्ज की गई वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को वापस लिये जाने का स्वीकार किया जाकर वादी को वाद वापस लिये जाने की अनुमति दी जाती है वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सीता I/d by Advoc[illegible] Ram[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)